यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून** के माह 08/2015 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अभेन्दर वरिष्ठ लेखापरीक्षक तथा श्री अजय कुमार सचान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 12.05.2018 से 24.05.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एफ आर खान वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं श्री अजय कुमार सचान तथा श्री वी पी सिंह सहा. लेखापरीक्षा अधिकारीगण द्वारा दिनांक 27.08.2015 से 09.09.2015 तक श्री डी एन मिश्रा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2011 से 07/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2015 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अन्य निदेशकों से समन्वय, प्रारम्भिक शिक्षा से संबन्धित समस्त कार्य, अध्यापक पात्रता परीक्षा की समस्त व्यवस्था, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन, मध्यानह भोजन योजना एवं सर्व शिक्षा अभियान का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवन एवं एस.सी. ई. आर. टी. से समन्वय तथा मिनिस्टीरियल कार्मिकों की पदोन्नति, स्थानांतरण एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही का कार्य किया जाता है।

   कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र समस्त उत्तराखण्ड राज्य है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	0	0	374.22	288.85	48416.89	48416.89	-	85.37
2016-17	0	0	410.12	317.01	55240.25	55240.25	-	93.11
2017-18	0	0	381.08	368.23	50757.79	50757.79	-	12.85

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत(-)**
2015-16	मध्यानह भोजन योजना	-	13175.81	13175.81	-	-
2016-17		-	14309.29	14309.29	-	-
2017-18		-	15566.68	15566.68	-	-
2015-16	सर्व शिक्षा अभियान	-	35241.08	35241.08	-	-
2016-17		-	40890.96	40890.96	-	-
2017-18		-	34651.11	34651.11	-	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई अ श्रेणी की है। **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

1. सचिव
2. अपर सचिव/महानिदेशक
3. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
4. मंडलीय अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा
7. उप शिक्षा अधिकारी

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखंड, देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखंड, देहरादून, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2015 एवं 01/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया|

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो "ब"

प्रस्तर 1:- निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना का लाभ कक्षा एक एवं कक्षा आठ के छात्रों को न दिया जाना।

शासनादेश संख्या 228/XXIV(1)/ 2018-34/ 2010टी० सी० दिनांक 19 मार्च 2018 द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र- छात्राओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों के भुगतानार्थ चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुदान संख्या 11 लेखा शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा-01 प्रारम्भिक शिक्षा 102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता- उप मानक मद 20 विद्यार्थियों को शिक्षण सामाग्री/ निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु ₹5.00 करोड़ का प्रावधान किया गया। उक्त धनराशि शिक्षा सत्र 2018-19 में कक्षा 1 से 8 तक के लाभार्थी छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें क्रय किए जाने हेतु डी0 बी0 टी0 द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर छात्र छात्राओं के बचत खातों में भुगतान किए जाने हेतु वांछित धनराशि के रूप में उपलब्ध कराई गयी। उक्त योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को ₹150- प्रति छात्र एवं कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को ₹250- प्रति छात्र पाठ्य पुस्तक क्रय किए जाने हेतु सीधे खाते में प्रेषित किया जाना तय था।

उक्त धनराशि निदेशलाय द्वारा पत्र संख्या ले0 स्था0/ 01/32164/ निशु0 पा0 पु0/ 2017-18 दिनांक 27 मार्च 2018 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से समस्त जनपदों में मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्रांक नियोजन(बे0)/ 31988-93/ डी0 बी0 टी0/ 2017-18 दिनांक 26/27 मार्च 2018 को प्रेषित कर दी गयी।

लेखा परीक्षा द्वारा पत्रावली की जांच में पाया गया कि अवमुक्त धनराशि ₹5.00 करोड़ द्वारा पूरे प्रदेश में 314690 छात्र छात्राओं को निर्धारित दरों से भुगतान किए जाने के उद्देश्य से प्रावधानित किया गया। उक्त धनराशि से कक्षा 2 से 5 एवं कक्षा 7 के विद्यार्थियों को डी0 बी0टी0 द्वारा धनराशि वितरण हेतु प्रावधानित किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा यह पूंछे जाने पर कि योजना कि धनराशि मात्र कक्षा 2 से 5 एवं कक्षा 7 के विदद्यार्थियों को ही लाभान्वित किया गया जबकि योजना कक्षा एक से कक्षा 8 तक के सभी सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को लाभान्वित किए जाने हेतु चलायी गयी थी। ऐसे में कक्षा एक, छह एवं कक्षा आठ के विद्यार्थियों को लाभान्वित किन कारणों से नहीं किया गया इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कक्षावार पदोन्नति के कारण कक्षा एक की संख्या अप्रैल माह में शून्य होने के कारण योजना की धनराशि कक्षा दो से आठ तक के छात्र छात्राओं को ही लाभान्वित किया गया है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि साक्ष्य हेतु उपलब्ध कराये गए विवरण में भी कक्षा एक एवं कक्षा आठ के छात्रों को इस योजना के लाभ से वंचित रखा गया था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो "ब"

प्रस्तर 2:- निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित धनराशि उपलब्ध न कराये जाने से समय से कार्य पूर्ण न होने के कारण लागत में वृद्धि की प्रबल संभावना।

शासनादेश संख्या 1106/ XXIV(1)/ 2016-03/ 2012 टी0 सी0 दिनांक 22 नवम्बर 2016 द्वारा ₹1025.99 लाख (सिविल कार्यों हेतु ₹747.12 लाख एवं अधिप्राप्ति हेतु ₹278.87 लाख) की लागत से प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय भवन के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। इसी कार्य हेतु वर्ष 2016-17 में ₹40.00 लाख शिक्षा विभाग के निवर्तन में रखे गए। उक्त कार्य हेतु कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल निगम, देहारादून को कार्यदाई संस्था नामित किया गया।

उक्त कार्य हेतु कार्यदयी संस्था के साथ किए गए एमओयू के बिन्दु दो के अनुसार निर्माण कार्य दिनांक 30 नवम्बर 2018 तक पूर्ण कर लिया जाना तय हुआ था। इसी एमओयू के बिन्दु 3 के अनुसार," ग्राहक उपरोक्त पैरा 2 में निर्दिष्ट समय सारिणी के परिप्रेक्ष्य में भौतिक प्रगति तथा पूर्व में मुक्त निधियों/ अंतिम संवितरण की वित्तीय प्रगति के अनुसार निर्माण एजन्सी को पर्याप्त धन, निधि का प्रवाह सुनिश्चित करेगा, निधियों के मुक्त करने की पूर्व शर्तों के अधीन जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है, ग्राहक मांग के 30 दिनों के अंदर निधियाँ अवमुक्त करना सुनिश्चित करेगा।"

कार्यदायी संस्था की उपरोक्त निर्माण कार्य से संबन्धित मासिक प्रगति आख्या फरवरी 2017 के अनुसार कार्यदायी संस्था को प्रथम किश्त के रूप में ₹40.00 लाख प्राप्त हो गयी थी एवं निर्माण कार्य जनवरी 2017 को प्रारम्भ कर दिया गया था, जिसकी भौतिक प्रगति 1% थी। निर्माण कार्य से संबन्धित उक्त कार्यदायी संस्था की मार्च 2018 की मासिक प्रगति आख्या के अनुसार कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति 5% थी। कार्यदायी संस्था को अद्यतन कार्य हेतु ₹80.00 लाख ही उपलब्ध कराये गए थे जबकि एमओयू के अनुसार उक्त कार्य की भौतिक प्रगति 50 से 75 % के दरम्यान होनी चाहिए थी। कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई गयी धनराशि से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा एमओयू के बिन्दु संख्या 3 का अनुपालन नहीं किया गया एवं कार्यदायी संस्था पर एमओयू के बिन्दु संख्या दो के अनुसार कार्य करने का दबाव नहीं डाला जा सकता।

पत्रावली की जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य 24 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था जोकि जनवरी 2017 से प्रारम्भ होने के हिसाब से दिसम्बर 2018 में पूर्ण किया जाना था परंतु विभाग द्वारा विगत दो वित्तीय वर्षों 2016-17 2017-18 में ₹40.00 लाख की दो किश्तों के रूप में ₹80.00 लाख ही अद्यतन उपलब्ध कराया गया जोकि निर्माण कार्य की लागत का लगभग 10% था।

लेखा परीक्षा द्वारा निर्माण कार्य के समय से पूर्ण न होने पर लागत में वृद्धि की संभावना के संबंध में पूंछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि निर्माण कार्य समय से पूर्ण न होने पर भवन निर्माण कि लागत में वृद्धि होने की पूरी संभावना हैं। अतः इस समस्या से शासन को अवगत कराया जा रहा है।

इकाई का लागत वृद्धि की संभावना के संबंध में स्वीकारोक्ति लेखा परीक्षा द्वारा उठाई गयी आपत्ति की पुष्टि करती है।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**
84/2015-16	01	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
अनुपालन आख्या शासन की संस्तुति के साथ सीधे कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा) को प्रेषित की जाएगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

……Nil……

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

निम्न धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र

a. एमडीएम- ₹ 5592.76 लाख

b. एसएसए- ₹ 34651.11 लाख

c. निशुल्क पाठ्य पुस्तक- ₹ 500 लाख

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य।

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

नाम	पदनाम	**अवधि**
1. श्रीमति सीमा जौनसारी	निदेशक	06-01-2015 से 17-05-2017
2. श्री राकेश कुमार कुँवर	निदेशक	18-05-2017 से अविरल

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.